रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042021-226772
CG-DL-E-27042021-226772

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2021/वैशाख 7, 1943
No. 185] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2021/VAISAKHA 7, 1943

IndiaCode

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2021

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2021

आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.073.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 207 और धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2021 है।

 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 7 के उप-विनियम (2) के खंड (गक) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

 "परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिक इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2021 को या उससे पूर्व करेगा।"

3. मूल विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) में,-

(i) खंड (ख) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि जब कोई व्यष्टि, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से और 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त अवधि तक यथास्थिति, उसका निदेशक या भागीदार नहीं रह जाता है तब दिवाला व्यावसायिक संस्था, ऐसा निदेशक या भागीदार न रहने के तीस दिन के भीतर बोर्ड को सूचित करेगा;"

(ii) खंड (ग) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि जब कोई व्यष्टि, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से और 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त अवधि तक यथास्थिति, उसके निदेशक या भागीदार के रूप में प्रवेश करता है तब दिवाला व्यावसायिक संस्था, ऐसे प्रवेश से तीस दिन के भीतर बोर्ड को सूचित करेगा;"

(iii) खंड (गक) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था, इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2021 को या उससे पूर्व करेगा; और"।

सुधाकर शुक्ला, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन III/4/असा./49/2021-22]

IndiaCode

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 424, तारीख 23 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.003, तारीख 23 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् -

(1) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 125, तारीख 28 मार्च, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2018;

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 384, तारीख 11 अक्तूबर, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.036, तारीख 11 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018;

(3) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 257, तारीख 23 जुलाई, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, तारीख 23 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2019;

(4) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 367, तारीख 25 अक्तूबर, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.049, तारीख 25 अक्तूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019;

(5) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 154, तारीख 24 अप्रैल, 2020 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.057, तारीख 20 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2020; और

(6) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 238, तारीख 1 जुलाई, 2020 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.061, तारीख 30 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020

द्वारा उनमें संशोधन किए गए।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2021

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2021

No. IBBI/2021-22/GN/REG073.- In exercise of the powers conferred by sections 196, 207 and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 7, in sub-regulation (2), in clause (ca), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that for the financial year 2020-2021, an insolvency professional shall pay the fee under this clause on or before the 30th June, 2021."

3. In the principal regulations, in regulation 13, in sub-regulation (2),

(i) in clause (b), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that when an individual ceases to be its director or partner, as the case may be, on and from the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2021 and ending on the 31st December 2021, the insolvency professional entity shall inform the Board, within thirty days of such cessation;"

(ii) in clause (c), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that when an individual joins as its director or partner, as the case may be, on and from the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2021 and ending on the 31st December 2021, the insolvency professional entity shall inform the Board, within thirty days of such joining;"

(iii) in clause (ca), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that for the financial year 2020-2021, an insolvency professional entity shall pay the fee under this clause on or before the 30th June, 2021; and".

SUDHAKER SHUKLA, Whole-time Member

[ADVT . III/4/Exty./49/2021-22]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG003 dated 23rd November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 424 on 23rd November, 2016 and were subsequently amended by-

(1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG027 dated 27th March, 2018 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 125 on 28th March, 2018;

(2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2018-19/GN/REG036 dated 11th October 2018 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 384 on 11th October, 2018;

IndiaCode

(3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2019 published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG045 dated 23rd July 2019 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 257 on 23rd July 2019;

(4) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2019 published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG049 dated 25th October 2019 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.367 on 25th October 2019;

(5) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2020 published vide notification No. IBBI/2020-21/GN/REG057 dated 20th April, 2020 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 154 on 24th April, 2020; and

(6) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2020 published vide notification No. IBBI/2020-21/GN/REG061 dated 30th June, 2020 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 238 on 1st July, 2020.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.27 18:30:11 +05'30'